<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 05, मथुरा।</u>

उपस्थितः–अरविन्द कुमार यादव–II, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{J.O.Code No. UP6351}

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2314/2026

अमित शर्मा उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र श्री संतोष शर्मा, निवासी जी.–1 सैक्टर गोविन्दनगर, थाना गोविन्द नगर, जिला मथुरा।

प्रति

उ.प्र. राज्य

सी.एन.आर. सं. UPMT01–005300–2026

<u>आदेश</u>

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **अमित शर्मा** की ओर से मु०अ०सं०–212/2026, धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबंद अधिनियम, थाना–गोविन्द नगर, जिला मथुरा के अन्तर्गत दिया गया है।

2– संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार गैंग लीडर अभियुक्त ललित शर्मा उर्फ लल्ले तथा गैंग के अन्य सदस्य अमित शर्मा व तुषार चौधरी ने मिलकर एक सुसंगठित आपराधिक गिरोह बना रखा है, जिनके विरूद्ध कई आपराधिक अभियोग पंजीकृत है। यह गैंग अपने आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ अर्जित करने के लिये लूटपाट, चोरी, एकराय होकर पथराव कर मारपीट, गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित करके अपने व अपने परिवार का पोषण करते हैं। इनके भय एवं आतंक के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति इस गैंग लीडर व सदस्य के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाने व न्यायालय में गवाही देने को तैयार नहीं होता है अभियुक्तगणों के कारित अपराधों के परिणाम स्वरूप जनमानस में भय व्याप्त है। गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त अमित शर्मा का निम्न आपराधिक इतिहास हैः–

<u>अभियुक्त अमित शर्मा–</u>

I. मु०अ०सं०–310/2025, धारा–309(6), 317(1)BNS थाना गोविन्दनगर, जिला मथुरा।
II. मु०अ०सं०–392/2023, धारा–323, 504, 506 भा०द०सं० थाना गोविन्दनगर जिला मथुरा।

3– जमानत प्रार्थनापत्र एवं शपथपत्र में शपथकर्ता ने यह अभिकथित किया है कि अभियुक्त को रंजिशन झूठा फंसाया गया है, जबकि वह निर्दोष है। गैंगचार्ट में अंकित मु०अ०स० 310/2025 में वह जमानत पर है तथा मु०अ०स० 392/2023 में अभियुक्त पर सम्मन की तामली नहीं है। अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। अभियुक्त दिनांक 03.06.2026 से जिला कारागार, मथुरा में निरुद्ध है। वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः उसे जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4– मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) के तर्क सुने एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

5– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है, वह आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है। अभियुक्त का न तो किसी सक्रिय गैंग से संबंध है तथा न ही पूर्व सजायाफ्ता है। अतः प्रश्नगत मामले में अभियुक्त को जमानत दी जाये।

6– राज्य के विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि अभियुक्त आपराधिक गिरोह का सदस्य है, जिसकी वजह से जन मानस में भय का माहौल व्याप्त रहता है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। अतः अभियुक्त की जमानत खारिज की जाये।

7– पत्रावली को अवलोकित करने से स्पष्ट है कि गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध मु०अ०सं०–310/2025, धारा–309(6), 317(1)BNS थाना गोविन्दनगर, जिला मथुरा व मु०अ०सं०–392/2023, धारा–323, 504, 506 भा०द०सं० थाना गोविन्दनगर जिला मथुरा पंजीकृत है। थाने से प्राप्त आख्या में अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०स० 144/2022 धारा

Digitally signed by ARVIND KUMAR YADAV
Date: 2026.07.08 17:17:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

147,160,286,323,336,504,506 भा०द०स० थाना गोविन्दनगर मथुरा व मु०अ०सं० 216/2022 धारा 380,411 भा०द०स० थाना गोविन्दनगर मथुरा भी पंजीकृत हैं। अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को आपराधिक गैंग का सदस्य बताया गया है। गिरोह के सह मुल्जिम का आपराधिक इतिहास है। प्रस्तुत मामले में विवेचना लम्बित है। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के बयान के उपरान्त अभियुक्त की सम्पत्ति की जानकारी बैंक व अन्य श्रोतों से की जा रही है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो इससे विवेचना प्रभावित होगी। धारा–19(4ख) उ०प्र० गिरोहबंद समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 द्वारा अपेक्षित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अभियुक्त को तभी जमानत दी जायेगी, जब न्यायालय का यह समाधान हो जाये कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है तथा वह जमानत पर रहते हुए पुनः अपराध कारित नहीं करेगा। प्रस्तुत प्रकरण में अभी इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त आरोपित अपराध में दोषी नहीं है अथवा जमानत पर रिहा होने के बाद पुनः अपराध नहीं करेगा।

8– अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

मु०अ०सं०–212/2026, धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबंद अधिनियम, थाना–गोविन्द नगर, जिला मथुरा के मामले में प्रस्तुत अभियुक्त **अमित शर्मा** का जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक–01.07.2026

(अरविन्द कुमार यादव–II)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 05, मथुरा।
आई०डी० यू०पी० 6351